संख्या– 512 /VI-3/2022–5(9)2008–VOL-2

I/70528/2022

प्रेषक,

अभिनव कुमार,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग **देहरादून : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2022**

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघो/क्लबों/खेल समितियों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं संघों/खिलाड़ियों हेतु खेल उपस्कर (उपकरण) क्रय अनुदान/आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खेल निदेशालय के पत्र संख्या–339/खे0नी0शासना0पत्रा0/2022–23, दिनांक 28 मई, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में खेलों को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से एवं खेल विभाग की अधिसूचना संख्या–938/VI-3/2021–33(07)2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के द्वारा जारी की गयी **"खेल नीति–2021"** के अनुक्रम में "खिलाड़ियों को प्रोत्साहन" *"के तहत खेल उपकरणों/किट हेतु अनुदान के अन्तर्गत खिलाड़ियों अथवा मान्यता प्राप्त/पंजीकृत खेल अथवा क्रीड़ा संघों को उसके किया–कलापों, प्रतियोगिता आयोजन और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये"* "पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–408, दिनांक : 30 नवम्बर, 2009 को ***अतिक्रमित*** करते हुये उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघो/क्लबों/खेल समितियों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं संघों/खिलाड़ियों हेतु खेल उपस्कर (उपकरण) क्रय किये जाने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान/आर्थिक सहायता दिये जाने/दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने की ***"श्री राज्यपाल महोदय"*** सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– खेल संघों/क्रीड़ा समितियों/क्लबों को खेल प्रतियोगिता आयोजन एवं व्यक्तिगत खिलाड़ियों को क्रीड़ा उपकरण क्रय का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में क्रीड़ा एवं उसके प्रशिक्षण तथा संरक्षण के विकास के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति/संस्था का परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त होता है। सरकार की यह नीति है कि प्रदेश में खेलों के संरक्षण एवं विकास के कार्य में लगे खेल संघों, समूहों तथा खेल समितियों को यथा–सम्भव सहयोग एवं सहायता प्रदान की जाय। प्रदेश में खेलों के सरंक्षण एवं विकास के कार्य में लगे खेल संघों, समूहों तथा खेल समितियों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन व क्रीड़ा उपस्कर क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना है।

2– खेल संघों/क्रीड़ा समितियों/क्लबों को खेल प्रतियोगिता आयोजन एवं व्यक्तिगत खिलाड़ियों को क्रीड़ा उपकरण क्रय के लिए निर्धारित मद में प्रतिवर्ष उपलब्ध बजट को तीन भागों में निम्नवत् बांटा जायेगा :

(क)	मान्यता प्राप्त खेल संघों को प्रतियोगिता कराने हेतु अनुदान	60 प्रतिशत।
(ख)	पंजीकृत समितियों/क्रीड़ा क्लबों को प्रतियोगिताएं कराने हेतु अनुदान	20 प्रतिशत।
(ग)	व्यक्तिगत खिलाड़ियों को क्रीड़ा उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता	20 प्रतिशत।

किसी वर्ष में यदि उक्त **तृतीय श्रेणी (ग)** में लाभार्थी आवेदन नहीं करते हैं, तो उक्त धनराशि **द्वितीय श्रेणी (ख)** के प्रयोजनार्थ आवंटित की जा सकती है।

श्रेणी–1– मान्यता प्राप्त खेल संघों को प्रतियोगिता कराने हेतु अनुदान :–

1. यह अनुदान राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन हेतु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त (भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा मान्यता) को उपलब्ध करायी जाएगी।
2. किसी राज्य स्तरीय संघ को एक बार अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् आगामी 02 वर्षों तक इस मद से अनुदान देय नहीं होगा, ताकि इस योजना का लाभ अधिकतम खेल संघों को प्राप्त हो सके।
3. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हेतु अधिकतम ₹3.50 लाख तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु ₹2.50 लाख जबकि जिला स्तरीय आयोजन हेतु ₹01.00 लाख अधिकतम अनुमन्य किए जा सकेगें। परन्तु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय एकल प्रतिस्पर्द्धाओं एवं 05 या 05 से कम खिलाड़ियों वाली टीम प्रतियोगिताओं के लिए उक्त धनराशि आधी कर दी जाएगी।
4. यदि किसी संघ द्वारा एक साथ 03 या इससे अधिक (आयुवर्ग/महिला–पुरूष आदि) में उक्त प्रतियोगिता का आयोजन एक साथ किया जा रहा हो, तो उक्त धनराशि दो गुनी अनुमन्य होगी।
5. उक्त प्रयोजनार्थ प्रतियोगिता आयोजन से पूर्व निदेशक खेल को लिखित आवेदन करना होगा, जिसमें संघ की मान्यता संबंधित अभिलेख, आयोजन की तिथि, प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की अनुमानित संख्या एवं आयोजन पर अनुमानित व्यय का विवरण दिया जाएगा। निदेशक खेल अधीनस्थ अधिकारियों की आवश्यक जांच/आख्या के आधार पर अनुमन्य धनराशि स्वीकृति का पत्र जारी करेगें।
6. बजट में उपलब्ध धनराशि (मान्यता प्राप्त खेल संघों हेतु) में से न्यूनतम 20 प्रतिशत जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी, जिसका उपयोग यथासंभव अलग–अलग जनपदों एवं अलग–अलग खेलों की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु किया जाएगा। ताकि राज्य के प्रत्येक स्तर क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहन प्राप्त हो। यदि जनपद स्तरीय संघों से कोई प्रस्ताव माह दिसम्बर तक प्राप्त नहीं होगा तो सम्पूर्ण धनराशि राज्य स्तरीय संघों के लिये अनुमन्य होगी।

श्रेणी–2– खेल समितियों एवं क्लबों को प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान :–

1. यह अनुदान मात्र उन पंजीकृत खेल समितियों/क्लबों को दिया जाएगा, जो निम्न शर्तें पूर्ण करते हों –

(क) समिति/क्लब न्यूनतम 05 वर्षों से पंजीकृत हो और खेल प्रोत्साहन उसका प्राथमिक उद्देश्य हो।

(ख) समिति/क्लब का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत विधिवत् पंजीकरण हुआ हो और उसका अद्यतन नवीनीकरण हुआ हो।

(ग) समिति/क्लब के पदाधिकारियों का नियमित चुनाव हुआ हो और इसमें किसी प्रकार का विवाद न हो। निर्विवादित चुनाव का प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(घ) किसी भी क्लब/समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का स्तर न्यूनतम अन्तर्विकासखण्डीय हो। अनुमन्य राशि जिला स्तरीय प्रतियोगिता के समान होगी।

(ड.) किसी समिति/क्लब को तीन वर्ष में एक बार ही उक्त धनराशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

628/2022

श्रेणी–3– खिलाड़ियों को खेल उपकरण हेतु सहायता :–

इसका उद्देश्य प्रतिभावान एवं साधन विहीन खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा के अनुकूल खेल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

(1) जिनकी पारिवारिक आय 06 लाख प्रतिवर्ष से कम होगी।

(2) खिलाड़ी द्वारा कम से कम राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया गया हो।

(3) खेल उपकरण हेतु किसी एक खिलाड़ी को उपकरण के मूल्य का 75 प्रतिशत एवं विकलांग खिलाड़ी की स्थिति में 90 प्रतिशत एवं अधिकतम ₹2.50 लाख, जो भी कम हो, प्रदान किए जा सकते हैं। इस हेतु खिलाड़ी को उपकरण के मूल्य संबंधित न्यूनतम 03 कोटेशन आवेदन के साथ संलग्न करने आवश्यक होगें।

(4) किसी खिलाड़ी द्वारा एक बार उपकरण क्रय हेतु सहायता प्राप्त होने के पश्चात् यदि राष्ट्रीय पदक प्राप्त किया जाता है या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व प्रस्तावित हो, तो 02 वर्ष पश्चात् (पूर्व में दी गयी सहायता की तिथि से) पुनः उच्च स्तर के खेल उपकरण हेतु अनुदान दिया जा सकता है। उच्च स्तरीय अनुदान की राशि अधिकतम 04 लाख हो सकती है। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

(5) यदि किसी खिलाड़ी का चयन एशियाड, कॉमनवेल्थ खेल या ओलम्पिक अथवा किसी खेल विधा की विश्व चैंपियनशिप हेतु हो जाता है और उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के किसी खेल उपकरण की आवश्यकता हो, तो राज्य सरकार की पूर्वानुमति से ऐसे खिलाड़ी को उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्ध एवं अनुमन्य सीमा में छूट देते हुए सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

(6) किसी भी खिलाड़ी को उपकरण क्रय हेतु उपलब्ध कराई गयी धनराशि प्राप्ति के 03 माह के अन्दर उसके द्वारा क्रय किए गये उपकरण के साक्ष्य (बिल आदि), फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि धनराशि प्रदान करने के पश्चात् भी खिलाड़ी द्वारा उक्त उपकरण क्रय नहीं किया जाता है, तो विभाग उक्त स्वीकृति आदेश निरस्त करते हुए उससे प्रदत्त धनराशि ब्याज सहित (10 प्रतिशत की दर से) वसूल करने हेतु अधिकृत होगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ***अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–104–खेलकूद के अन्तर्गत–12–प्रदेशीय कीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य कीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर कय हेतु अनावर्तक अनुदान–50–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)*** के माध्यम से के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त अनु–03, उत्तराखण्ड शासन के ई ऑफिस आई0डी0 संख्या–I/69720/2022, दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

भवदीय,

Signed by Abhinav Kumar
Date: 14-10-2022 10:09:00

(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव।

8/2022

पृष्ठांकन संख्या– 572 /VI-3/2022–5(9)2008–VOL-2, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।